संख्या–जी.आई. 176/5–9–07–9(113)/05टी.सी.

प्रेषक:

रेणुका कुमार,
सचिव एवं मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 8 जून , 2007

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत "जननी सुरक्षा योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु–दर एवं शिशु मृत्यु–दर में कमी लाने एवं सभी गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव की वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत "जननी सुरक्षा योजना" लागू करने के संबंध में समय–समय पर शासनादेश सं0–जी.आई.161/5–9–05–9(113)/2005, दिनांक 31.08.05, शासनादेश सं0–जी.आई. 213/5–9–06–9(113)/2005, दिनांक 11.10.06 एवं शासनादेश सं0–2316/5–9–06–9 (113)/2005, दिनांक 24.11.06 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। यह एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। यह देखने में आया है कि इस योजना के स्वरूप एवं क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अस्पष्टता एवं कठिनाई अनुभव की जा रही है। इसके दृष्टिगत योजना के संबंध में पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए विस्तृत सहित दिशानिर्देश एतदद्वारा जारी किये जा रहे हैं।

2– "जननी सुरक्षा योजना" राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व के लिये गर्भवती माताओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु लागू की गयी शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है। इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्दों यथा –उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई (एफ.आर.यू.) /जिला एवं राज्य स्तरीय चिकित्सालय एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों यथा – रेलवे चिकित्सालय, सेना के चिकित्सालय, ई.एस.आई. चिकित्सालय आदि के जनरल वार्ड में प्रसव कराने पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार नकद प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी:–

ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रूपया)	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रूपया)	योग (रूपया)	लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रूपया)	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रूपया)	योग (रूपया)
1	2	3	4	5	6
1400	600	2000	1000	200	1200

3– योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिये अनुमन्य प्रोत्साहन राशि का निर्धारण लाभार्थी के निवास स्थान के आधार पर होगा।

4— सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराने वाली महिलाओं के संबंध में:—

(i) दो जीवित बच्चों के जन्म एवं 19 वर्ष या उससे अधिक आयु होने का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ii) किसी भी प्रकार के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन का प्रमाण—पत्र अथवा प्रसवोपरान्त नसबन्दी कराने का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(iii) प्रसव के समय महिलाओं को अनुमन्य एक मुश्त नकद धनराशि का भुगतान संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्रथम संदर्भन इकाई/राज्य या जनपद चिकित्सालय/केन्द्र सरकार के विभागों के चिकित्सालयों, जहॉं महिला द्वारा प्रसव कराया जाय, के प्रभारी द्वारा लाभार्थी के स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुँचने एवं प्रसव कराने के पश्चात् तुरन्त कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक दशा में प्रसव के बाद रोगी के अस्पताल से जाते समय उसको उक्त योजना में अनुमन्य राशि उपलब्ध करायें। भुगतान से सम्बन्धित किसी भी प्रकिया को भर्ती काल के अन्दर पूरा कराने की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से योजना मद में धनराशि उपलब्ध नहीं है तो लाभार्थी को अस्पताल से छुट्टी के समय दो सप्ताह के अन्दर की तिथि का पोस्ट डेटेड चेक दिया जाय।

(iv) ऐसे सरकारी संस्थान, जहां पर सरकारी विशेषज्ञ तैनात नहीं हों में सीज़ेरियन ऑपरेशन अथवा जटिल प्रसव प्रबन्धन के लिये संस्थान को प्रति प्रसव रू0 1500/— की धनराशि अनुमन्य होगी।

(v) **राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों (राजकीय मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर)** में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अनुभाग—1 के शासनादेश सं0—984/5—1—2000—4(80)/ 95, दिनांक 28.06.2000 के उप प्रस्तर—1 में निम्नानुसार प्राविधान है:—

"विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा – राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कल्याण (जिसे अब प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है), राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण/कैंसर नियंत्रण/एड्स नियंत्रण/ मलेरिया/फाइलेरिया नियंत्रण तथा घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।"

चूंकि जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत **चलायी जा रही है, अतः इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

5— गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 19 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं, जो घर पर प्रसव कराती हैं, को दो जीवित बच्चों के जन्म तक प्रति प्रसव रू0 500/— की नकद सहायता अनुमन्य होगी। ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन एवं आयु का प्रमाण—पत्र आवश्यक होगा तथा प्रश्नगत प्रोत्साहन केवल दो जीवित बच्चों के जन्म के संबंध में ही अनुमन्य होगा।

6— जिला/महिला चिकित्सालय/राज्य स्तरीय चिकित्सालय आदि में होने वाले प्रसव के मामलों मे धन वितरण के संबंध में दिशानिर्देश:—

1 सभी लक्षित मातायें प्रसव हेतु चिकित्सालय में अपने साथ जहॉं वह सामान्यतः रहती हैं, वहॉं को ए.एन.एम /आशा द्वारा दी गयी संदर्भन पर्ची ले जायेंगी। अस्पताल से अवमुक्त किये जाते समय चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा संबंधित मॉं को जच्चा—बच्चा कार्ड एवं जन्म प्रमाण—पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। संदर्भन पर्ची एवं जच्चा—बच्चा कार्ड दिलाये जाने का दायित्व आशा का होगा।।

2 प्रसव कराने वाली महिला को चिकित्सालय में ए.एन.एम. का संदर्भन पत्र अथवा इसके न होने पर कुटुम्ब रजिस्टर की प्रतिलिपि, राशन कार्ड, जच्चा–बच्चा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा ऐसा कोई भी प्रमाण– पत्र जिससे निवास की पुष्टि हो सके, के आधार पर देय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी कारण से कोई भी पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सालय के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि दो स्वतंत्र पहचान वाले गवाहों की उपस्थिति में यह भुगतान छुट्टी के समय सुनिश्चित करें। प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। लाभार्थी से फोटो आदि अन्य कोई अभिलेख नहीं मांगा जायेगा। परन्तु आशा को अनुमन्य भुगतान के लिये ए.एन.एन. संदर्भन पत्र एवं जच्चा–बच्चा कार्ड की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

3 ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली गर्भवती महिला द्वारा यदि शहरी क्षेत्र के चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराया जाता है तो ऐसी महिला के पास ग्रामीण क्षेत्र का निवास प्रमाण–पत्र न होने पर उसे प्रोत्साहन राशि रू0 1,000/– प्रदान की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आने पर किसान बही, कुटुम्ब रजिस्टर, खसरा–खतौनी आदि जैसा कोई भी प्रमाण–पत्र तथा ए.एन.एम./आशा द्वारा रेफरल स्लिप, ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण–पत्र ग्रामीण क्षेत्र में निवास के प्रमाण–पत्र माने जायेंगे, जिनके प्रस्तुत करने पर शहरी चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिला को रू0 1400/– की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

4 यदि किसी कारण से आशा गर्भवती स्त्री को संस्था तक जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो ऐसी परिस्थिति में गर्भवती स्त्री के प्रसव हेतु संस्था पर पहुॅचने पर/पंजीकरण के पश्चात् परिवहन सहायता (जोकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु रू0 250/– एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं हेतु रू0 200/– तक सीमित है) लाभार्थी को तुरन्त प्रदान की जायेगी।

7– <u>धन संचरण</u>:–

1. जननी सुरक्षा योजना की धनराशि जिला स्तरीय अधिकारी को अवमुक्त करने की व्यवस्था महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 के स्तर से की जायेगी।

2 प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम सन्दर्भन इकाई अथवा राज्य/जनपद एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों को इन संस्थाओं में प्रत्येक माह में होने वाले अनुमानित प्रसव के अनुपात में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा धनराशि आवंटित की जाएगी। इन संस्थाओं द्वारा आवंटित धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि का व्यय होने के पश्चात् तुरन्त अतिरिक्त अनुमानित व्यय हेतु आवश्यक धनराशि आवंटन हेतु मांगपत्र संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजा जायेगा, जो मांगपत्र प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर धनराशि आवंटित कर देंगे ताकि भुगतान के लिए धनराशि हर समय उपलब्ध रहे। यदि किसी कारणवश जननी सुरक्षा योजना मद में धनराशि उपलब्ध नहीं है तो अन्य किसी मद से धनराशि दे दी जायेगी और बाद में जननी सुरक्षा योजना में धन प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

3 जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक ए.एन.एम. को रू0 10,000/– इम्प्रेस्ट मनी के रूप में जननी सुरक्षा योजना के मद से क्षतिपूर्ति किये जाने वाले धन के रूप में अग्रिम प्रदान करेंगे। यह धनराशि ए.एन.एम. एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के उसी संयुक्त खाते में रखी जायेगी जिसमें जननी सुरक्षा योजना की धनराशि रखी गयी है। प्रभारी अधिकारी इस धनराशि में से रू0 1500/– आशा को अग्रिम प्रदान कर सकेंगे। इस धन की प्रतिपूर्ति ए.एन.एम. द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जननी सुरक्षा योजना के फंड के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त की

जायेगी।

8— आशा हेतु पैकेजः—

आशा द्वारा लाभार्थी महिला को सेवायें प्रदान करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति प्रसव रू0 600/— की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसमें रू0 250/— परिवहन व्यवस्था हेतु, रू0 150/— महिला के साथ चिकित्सालय में रहने एवं भोजन आदि हेतु एवं रू0 200/— आशा को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में देय होंगे। शहरी क्षेत्र में आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रू0 200/— निर्धारित है। आशा की अनुपस्थिति में उक्त सेवायें प्रदान करने की स्थिति में यह धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकत्री/प्रशिक्षित दाई को देय होगी।

9— आशा को भुगतानः—

(1) आशा द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीकरण ए.एन.एम. से कराया जायेगा एवं लाभार्थी को संदर्भन पर्ची तथा जच्चा—बच्चा कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आशा को देय धनराशि दो चरणों में अनुमन्य होगी

(अ) 50 प्रतिशत धनराशि का पहला भुगतान गर्भवती स्त्री के साथ संस्था मे पहुँचने तथा संस्था में रूकने के लिये अनुमन्य होगा।

(ब) शेष 50 प्रतिशत धनराशि का दूसरा भुगतान महिला की एक माह तक प्रसवोत्तर देखभाल, एक माह तक नवजात शिशु की देखभाल एवं बच्चे को बी.सी.जी. का टीका लगवाये जाने के पश्चात् अनुमन्य होगा।

(3) आशा को दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान का सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा। इसके लिये वाउचर प्रणाली अपनायी जायेगी, जिसके अंतर्गत ए.एन.एम. प्रत्येक गर्भवती स्त्री, जिसका पंजीकरण किया गया है, के संबंध में आशा को निम्नलिखित प्रारूप पर दो वाउचर देगी। आशा इस वाउचर को भर कर ए.एन.एम. को प्रस्तुत करेगी, जिसे प्रमाणित करने के उपरान्त आशा को भुगतान अनुमन्य होगा।

लाभार्थी महिला का नाम	पंजीकरण की तिथि	प्रसव की तिथि	शिशु का लिंग	जीवित/मृत	आशा/ए.एन.एम./अन्य प्रेरक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री का नाम	अस्पताल से अवमुक्त किये जाने की तिथि	दी गयी धनराशि का विवरण	हस्ताक्षर (दिनांक सहित)		
								प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	ए.एन.एम.	आशा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10— देय धनराशि के भुगतान में विलम्ब होने पर उसकी जॉच व समस्या के निराकरण का उत्तरदायित्व जिले के नोडल अधिकारी का होगा। यदि संस्थागत प्रसव के उपरान्त नसबन्दी/लैप्रोस्कोपी करायी जाती है तो लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य दोनों लाभ देय होंगे।

11— अति आवश्यक बिन्दुः—

1 भुगतान वाउचर में लाभार्थी को दी गयी धनराशि का प्रमाणीकरण एवं भुगतान की तिथि का अंकन अनिवार्य होगा।

2 संस्था द्वारा अपने यहॉ होने वाले प्रत्येक प्रसव का अभिलेख रखा जायेगा।

12— जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि एवं धनसंचरण के परीक्षण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 द्वारा पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले में होने वाले संस्थागत प्रसव एवं व्यय का मासिक विवरण अनिवार्य रूप से महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 को उपलब्ध करायेंगे, जो सम्पूर्ण प्रदेश की संहत सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

13— <u>गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन का प्रमाण पत्रः—</u>

1. किसी राजस्व अधिकारी यथा — उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/कानूनगो /लेखपाल द्वारा दिया गया प्रमाण—पत्र मान्य होगा।
2. यदि किन्हीं कारणवश लाभार्थी के पास यह प्रमाण—पत्र उपलब्ध नहीं है तो ए.एन.एम. /आशा कार्यकर्त्री की संस्तुति पर ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण—पत्र मान्य होगा।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्त्योदय अन्न योजना में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया बी.पी.एल. कार्ड मान्य होगा।

14— <u>जिला स्तरीय प्राधिकारी समितिः—</u>

जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन इस योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। मिशन द्वारा इसके लिये जिला स्तर पर एक जिला नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य मिशन के निर्देशन में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक जिला संचालन समिति गठित की जायेगी जो इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी एवं संबंधित को आवश्यक दिशानिर्देश प्रेषित करेगी।

15— <u>रिपोर्टिंगः—</u>

1 प्रत्येक माह की 07 तारीख तक आशा कार्यकर्त्री/ए.एन.एम. द्वारा गत माह की लाभार्थियों की प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय—विवरण निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

1 ब्लॉक स्तरीय चिकित्साधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपने ब्लॉक के समस्त कार्यकर्ताओं की प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय—विवरण के संकलन पर अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर जिले के नोडल अधिकारी को भेजेंगे।

2 जनपद के नोडल अधिकारी समस्त ब्लॉक से प्राप्त रिपोर्ट एवं व्यय विवरण के आधार पर संकलित रिपोर्ट को उसी माह की 15 तारीख तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जनपदीय स्वास्थ्य मिशन/जनपदीय कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे एवं अपने जनपद की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी के संयोजक महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 को निर्धारित प्रारूप पर भेजेंगे।

3 संयोजक एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्रत्येक 06 माह पर जनपद वार विस्तृत संकलित रिपोर्ट/व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र/ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्रों पर माह अप्रैल एवं अक्टूबर में उपलब्ध करायी जायेगी और उसी के आधार पर धनराशि के आवंटन का निर्धारण होगा।

16— <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः—</u>

प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को प्रत्येक उपकेन्द्र पर उस क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्रियों की बैठक होगी। यदि शुक्रवार को अवकाश है तो अगले कार्यदिवस पर यह बैठक होगी जिसमें संभावित पात्र लाभार्थी एवं रोवित लाभार्थियों का विवरण प्रस्तुत कर ए.एन.एम. की सहायता से कार्य योजना

तैयार की जायेगी।

संयोजक एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी द्वारा संकलित मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य मिशन को उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्येक माह कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी एवं उनके द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था निर्धारित की जायेगी। इस कार्य में जनसंख्या अनुसंधान केन्द एवं स्वयंसेवी सहायता समूह/संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा पृथक रूप से योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।

महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु महानिदेशक इस योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन को दृष्टिगत रखते हुये विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेंगे।

17— जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2007—08 के लिये लक्ष्य निर्धारणः

मातृ एवं शिशु मृत्यु—दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिये जाने एवं विगत वर्ष की जननी सुरक्षा योजना की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2007—08 के लिये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जनपदवार लक्ष्य संलग्न प्रपंत्र के अनुसार निर्धारित किये जा रहे हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सतत् अनुश्रवण एवं योजना का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि घरेलू प्रसव को संस्थागत प्रसव के रूप में दिखाये जाने का कोई प्रकरण सत्यापित पाया जाता है तो इसके लिये संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे जिसके लिये उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को यह सुविधा केवल सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर ही अनुमन्य होगी। निजी चिकित्सालयों में होने वाले प्रसव पर उक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,
08/6/07
(रेणुका कुमार)
सचिव एवं मिशन निदेशक

संख्या—2110(1)/5—9—2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
10. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0, इंदिरा नगर, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त मण्डल अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सूर्य नारायण शुक्ल)
उप सचिव